

**समस्त एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।**

व्यापारियों द्वारा पंजीयन प्रार्थनापत्र देने पर विभिन्न कार्यवाहियों जैसे बयान लिये जाने, व्यापारस्थल की स्थानीय जाँच तथा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रपत्रों के सत्यापन में लगने वाले समय के कारण पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करने में काफी विलम्ब हो रहा है। इस विलम्ब के कारण व्यापारियों को व्यापार करने में असुविधा का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव राजस्व संग्रह पर भी पड़ता है। इस विलम्ब को समाप्त करके तत्काल पंजीयन प्रमाणपत्र, प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के ही दिन प्रदान करने व पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करने की यह व्यवस्था दिनांक 04.11.08 से प्रभावी होने के निर्देश मुख्यालय के परिपत्र सं०-वैट परिपत्र भाग-2(08-09)-289(कैम्प)/0809076/वाणिज्य कर दिनांक 01.11.08 द्वारा निर्देश दिए गए थे।

शासन स्तर पर आहूत की गयी राज्य कर परिषद की बैठक दिनांक 05.10.09 में लिए गए निर्णयानुसार पंजीयन में हो रही विलम्बित जाँच को देखते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि पंजीयन प्राधिकारी पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत करने के उपरान्त तत्काल सभी डाक्यूमेन्ट्स संबंधित कर निर्धारण अधिकारी को प्रेषित करेंगे व कर निर्धारण अधिकारी अधिकतम एक माह में (संवैदनीय वस्तुओं के व्यापार के मामलों में अधिकतम एक सप्ताह के भीतर) व्यापार स्थल जाँच आदि की अन्य कार्यवाहियाँ पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में जारी परिपत्र सं०-0809076 दिनांक 01.11.08 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

ह०.

(चन्द्रभानु)

कमिशनर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एस०सी०द्विवेदी/श्री यू०सी०दीक्षित, संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ०प्र०।
4. समस्त एडीशनल कमिशनर/ज्वाइन्ट कमिशनर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर (कार्यपालक)/ (वि०अनु०शा०)/ (अपील)/ कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9. ज्वाइन्ट कमिशनर/डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
10. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5-5 तथा 10 प्रतियां।
11. विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां।
12. समस्त डिप्टी कमिशनर/असिस्टेन्ट कमिशनर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

ह०.

(चन्द्रभानु)

कमिशनर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।